

प्रेषक,

योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,

गोरखपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 25 जून, 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर हेतु एन0पी0एस0 अंशदान के लिए धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अधिकारी के पत्र संख्या-587/लेखा/2020 दिनांक-14.05.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त अधिकारी के उक्त पत्र दिनांक-14.05.2020 में किये गये अनुरोध पर सम्यक विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2020-21 में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर को अंशदायी पेंशन योजना के लिए सरकारी अंशदान हेतु रू0 3,59,87,851.00 (रू0 तीन करोड उन्सठ लाख सतासी हजार आठ सौ इक्यावन मात्र) की अतिरिक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- नयी अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गयी धनराशि का उपभोग केवल सरकारी अंशदान के रूप में किया जाएगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय, शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4- अंशदायी पेंशन योजना के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय के नियमित कार्मिकों के सरकारी अंशदान को जमा कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

5- इस अनुदान के बिल पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

6- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई अंश शेष बचता है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में उसे शासन को प्रत्येक दशा में समर्पित कर दिया जायेगा।

8- इस अनुदान को उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अस्थायी रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नहीं किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस धनराशि में उन्ही मदों में उतनी ही धनराशियाँ व्यय हेतु अनुमन्य होगी, जो शासनादेश संख्या-1075/70-4-99/46(21)/99 दिनांक 29 अप्रैल, 2000 की संलग्न तालिका में प्रत्येक मद हेतु अनुमन्य की गई है। इसका उल्लंघन करने पर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 55ए के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

9- इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

10- इस अनुदान पर राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लाक ग्राण्ट देने की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-1371/15(15)/95-46(55)/94 दिनांक 04 मई, 1995 द्वारा निर्धारित नियम व शर्तें लागू होंगी। तदनुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा व्यय किये जायेंगे और व्यय के विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

11- उक्त पर होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-73 के अधीन लेखा शीर्षक "2071-पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ-01-सिविल-117-निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिये सरकारी अंशदान-04-राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणत्तर कार्मिकों के लिये टियर-I खाते में अंशदान-33-पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ" के नामे डाला जायेगा।

12- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-526 (1)/दस-2020, दिनांक 22 जून, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (सूचना आडिट), उ0प्र0 प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. कोषाधिकारी, गोरखपुर।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
6. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11
8. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि का तत्काल आनलाईन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल

आज्ञा से,
सर्वेश कुमार सिंह
उप सचिव।